



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
Integrated Regional Office, Lucknow



केंद्रीय भवन, पंचम तल, मेकलुभावन, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696  
Email: roc.mef@gov.in, goimcoefrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू0पी0/06/36/2021/एफ0सी0/1265

दिनांक : 22.02.2021  
23

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,  
17, राणा प्रताप मार्ग,  
लखनऊ-226001

**Online Proposal No. FP/UP/Road/52116/2020**

विषय: जनपद झांसी में झांसी-बबीना-ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-26(नया एन0एच0-44) के किमी0 सं०-0.0 से 3.0 तक चौड़ीकरण/फोरलैनिंग में प्रभावित 4.20 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 344 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं०-1841/11-सी- FP/UP/Road/52116/2020, लखनऊ, दिनांक - 29.01.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके-

1. Another proposal for 4 laning of the same road from km 3 to km 11, for diversion of 14.8 ha. of forest land. was accorded AIP by this office on 20-02-2020(proposal no. 39827/2019). Why a consolidated proposal was not submitted. this needs clarification.
2. Detailed muck calculation along with muck disposal scheme as approved by DFO needs to be submitted.
3. No objection certificates of concerned departments(Irrigation, Railway etc) needs to be submitted.
4. Details of existing ROW proposed ROW and land width (ROW) availability for road side plantation is not provided.
5. CA scheme to be as per FCA guidelines to include 1000 plants per ha.
6. As per Google Earth imagery. plantation activity is observed in land proposed for CA. this needs clarification and rectification of CA scheme.:


भवदीया,

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):


1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
4. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड(भवन विंग) लोक निर्माण विभाग, झांसी।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

  
(प्राची रंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 2140 /11-सी-FP/UP/Road/52116/2020, लखनऊ, दिनांक: फरवरी 24, 2021

- प्रतिलिपि- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी झांसी वन प्रभाग, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन विंग) लोक निर्माण विभाग, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
(अनुपम गुप्ता)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ

